भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 786

जिसका उत्तर 26 जून, 2019 को दिया जाना है

कोयले की कमी

786. श्रीमती राम्या हरिदासः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में नई खदानें खोल कर कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर को कब तक दूर किया जा सकता है;

(घ) क्या मंत्रालय ताप विद्युत संयंत्रों की क्रांतिक आवश्यकता के मद्देनजर उन्हें कोयला आपूर्ति में प्राथमिकता दे रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : अखिल भारतीय कच्चा कोयला उत्पादन जो वर्ष 2013-14 में 565.77 मिलियन टन (मि.ट.) था, वर्ष 2018-19 में बढ़कर 730.35 मि.ट. (अनंतिम) हो गया है। इस अवधि में कोयला उत्पादन में 164.58 मि.ट. की वृद्धि हुई है जबकि 2008-09 और 2013-14 के बीच 73.01 मि.ट. की वृद्धि हुई थी। 19.06.2019 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पास 39.36 मि.ट. का विक्रेय भंडार था।

(ख) : कोयला खान खोलना एक सतत कार्यकलाप है जो नियमित रूप से किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने भावी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की योजना बनाई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सहायक कंपनी	राज्य	कोलफील्ड	परियोजना	प्रकार	पीआर क्षमता (मि.ट. वर्ष)
1	ईसीएल	झारखंड	राजमहल	हुरा सी ओसीपी	ओसी	3
2	एसईसीएल	छत्तीसगढ	सीआईसी	केतकी	यूजी	0.42
3	एसईसीएल	छत्तीसगढ	सीआईसी	जगन्नाथपुर	ओसी	3
4	एसईसीएल	छत्तीसगढ	सीआईसी	मदन नगर	ओसी	12
5	एसईसीएल	छत्तीसगढ	सेंदुरगढ़	विजय वेस्ट	ओसी	3

6	एसईसीएल	मध्य प्रदेश	सीआईसी	अमृतधारा ओसी	ओसी	2
7	एसईसीएल	मध्य प्रदेश	सीआईसी	मालाचुआ	ओसी	3
8	एसईसीएल	छत्तीसगढ	केआरबी	सरायपाली	ओसी	1.4
9	एसईसीएल	छत्तीसगढ	केआरबी	कर्तोली ईस्ट	ओसी	2.5
10	एसईसीएल	छत्तीसगढ	आरएआई	पेल्मा	ओसी	15
11	एसईसीएल	छत्तीसगढ	आरएआई	बिजारी	ओसी	1.5
12	एसईसीएल	छत्तीसगढ	आरएआई	दुर्गपुर ओसी	ओसी	6
13	एसईसीएल	मध्य प्रदेश	सीआईसी	बतुरा	ओसी	2
14	एमसीएल	ओडिशा	आईबी वैली	गर्जनबहल ओसीपी	ओसी	10
15	एमसीएल	ओडिशा	आईबी वैली	सियरमल ओसीपी	ओसी	40
				कुल		104.82

इसी तरह, अब तक कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 84 कोयला खानों का आबंटन (मूलत: 92 कोयला खानों का आबंटन किया गया था, बाद में 08 कोयला खानों के संबंध में कोयला खान विकास एवं उत्पादन करार/आबंटन करार समाप्त कर दिया गया था) किया गया है। इसके अलावा, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को 26 और कोयला खानों के आबंटन के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) : कोयले की मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर है क्योंकि स्वदेशी कोकिंग कोयले की उपलब्धता सीमित है और आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन हेतु कोयले का आयात जारी रखेंगे। वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत मंत्रालय ने सीआईएल से 530 मि.ट., सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से 54 मि.ट. और केप्टिव खानों से 50 मि.ट. की वार्षिक घरेलू कोयला आवश्यकता का अनुमान लगाया है। विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयला आपूर्ति में वृद्धि के कारण विद्युत संयंत्रों द्वारा 2015-16 में 80.71 मि.ट. कोयले का आयात किया गया था जो 2018-19 में घटकर 61.66 मि.ट. हो गया है।

*****